(राजस्थान सरकार)

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला कोटपूतली–बहरोड राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती प्रियंका गोस्वामी (I.A.S)
अपील : 89 / 2025
तारीख रजू : 07.07.2025 निर्णय दिनांक : 29.07.2025

उनवान

1. रामसिंह पुत्र भगवाना जाति अहीर निवासी ग्राम बर्डोद तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान। – अपीलान्ट

बनाम

1. उप तहसीलदार बहरोड़, जिला कोटपूतली बहरोड़ राजस्थान। – रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 11.06.2025 नायब तहसीलदार बहरोड़ जिला कोटपूतली बहरोड़।

उपस्थित अधिवक्तागण :–

01. वकील श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा अपीलान्ट की ओर से।
02. पैरोकार सरकार।

—: निर्णय :—

अपीलान्ट ने यह अपील नायब तहसीलदार बहरोड़ के आदेश दिनांक 11.06.2025 जिसके द्वारा अपीलार्थी को बेदखल किए जाने एवं लगान की 50 गुणा पैनल्टी वसूल किए जाने की आज्ञा से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

वकील अपीलान्ट एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि पटवारी हल्का बर्डोद ने नायब तहसीलदार, बहरोड़ के समक्ष रिपोर्ट पेश की, कि रामसिंह पुत्र भगवाना ने आराजी खसरा नंबर 3666 रकबा 45.25 हैक्ट. के रकबा 0.01 हैक्ट. किस्म आराजी गैर मुमकिन मरघट वाके ग्राम बर्डोद पर सम्वत् 2082 में पक्का मकान का निर्माण कर अवैध अतिक्रमण किया है, उक्त रिपोर्ट के आधार के आधार पर माननीय उप तहसीलदार, बहरोड के द्वारा अपीलांट को अतिकमी मानते हुए राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के तहत नोटिस दिया गया, जिस पर बाद तामील अपीलांट ने प्रस्तुत होकर अपने अधिवक्ता के माध्यम से वकालतनामा एवं जवाब नोटिस प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात रेस्पोडेंट न्यायालय द्वारा दिनांक 11.06.2025 को निर्णय पारित करते हुए अपीलांट को अतिक्रमी मानते हुए भौतिक रूप से बेदखल किए जाने के आदेश दिए गए है, साथ ही 43 रूपए के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ मौका एवं खिलाफ कानून है एवं हल्का पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर व खिलाफ राजस्व रिकॉर्ड है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर नहीं दिया गया है। हाल आराजी खसरा नंबर 3666 जिसका रकबा 45.25 हैक्ट. अर्थात् 181 बीघा दर्शाया हुआ है, जो राजस्व रिकॉर्ड में मरघट के रूप में दर्शाया हुआ है। उक्त आराजी खसरा नंबर 3666 का सम्वत् 2042 में साबिक नंबर 2576 था, जिसका क्षेत्रफल मात्र 02 बीघा 10 बिस्वा था, जो मिलान क्षेत्रफल व तत्कालीन राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी से प्रमाणित होता है कि हाल खसरा नंबर 3666 का साबिक खसरा नंबर 2576 मात्र 02 बीघा 10 बिस्वा का था, लेकिन बन्दोबस्त विभाग ने राजस्व रिकॉर्ड में बन्दोबस्त के समय गलती करते हुए 02 बीघा को 181 बीघा के रूप में दर्ज कर दिया। राजस्व रिकॉर्ड की इसी गलती के कारण विचारण न्यायालय द्वारा यह निर्णय पारित किया गया है। विचारण न्यायालय ने राजस्व रिकॉर्ड पर कोई गौर नहीं किया गया, केवल राजस्व अधिकारियों, कर्मचारियों की गलती का दण्ड अपीलांट को दिया गया है। अपीलांट के अलावा करीब 09 लोगों को इसी तरह की कार्यवाही से दण्डित किया गया है। अपीलांट व अन्य लोगों ने विवादित स्थल पर 50 साल से अधिक समय से अपने रिहायशी मकान बना रखे हैं एवं कुछ लोगों के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा इसी स्थल के संबंध में आवासीय पट्टे जारी किए हुए हैं, जिनमें अन्य अपीलांट उदय सिंह, राजेन्द्र सिंह आदि के पक्ष में विधिवत पट्टे है एवं विवादित स्थल हाल आराजी खसरा नंबर 3666 का भाग नहीं है। अपितु गैर मुमकिन आबादी का पार्ट है। अपीलांट ने अपने रिहायशी मकान में विद्युत एवं जल कनेक्शन लिया हुआ है। विद्युत एवं जल कनेक्शन मौके का भौतिक सत्यापन किए जाने के पश्चात संबंधित विभाग द्वारा जारी किया गया है, जिससे

न्यायालय जिला कलक्टर कोटपूतली-बहरोड़ (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

साफ जाहिर है कि अपीलांट का रिहायशी मकान ग्राम बर्डोद में आबादी भूमि में स्थित है। हाल जनप्रतिनिधि के दबाव में आकर आम आदमी के साथ अन्याय करने के आशय से यह निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट विधिपूर्ण तरीके से काबिज है एवं इस तथ्य का प्रमाण इसी से लगाया जा सकता है कि अपीलांट के अलावा अन्य लोग जो वहां बसे हुए है, उन सभी के लिए ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत रूप से राजकोष से सीसी व टायल की सडक बनायी हुयी है। राजकोष से ग्राम पंचायत द्वारा जो सार्वजनिक मार्ग बनाया गया है, वह आबादी क्षेत्र में होने के कारण ही बनाया गया है, लेकिन इन तथ्यों पर विचारण न्यायालय द्वारा कोई गौर नहीं किया गया है, जिस सूरत में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.06.2025 निरस्त किए जाने योग्य है।

पैरोकार सरकार का तर्क है कि संवत 2082 ग्राम बर्डोद के आराजी ख० नं0 3666 रकबा 45.25 है० अतिक्रमित रकबा 0.01 है० किस्म आराजी गै0मु0 मरघट पर पक्का मकान का निर्माण कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा पेश किये जाने पर प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमी को धारा 91(3) एल०आर०एक्ट० के तहत विधिवत् नोटिस जारी किया गया। नोटिस पूर्णरूपेण तामील होकर प्राप्त होने के बाद अपीलान्ट ने अपना लिखित जवाब पेश किया, जिसे अस्वीकार किया जाकर विधिवत् कार्यवाही की गई है। अतिक्रमी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर अतिक्रमित भूमि आराजी ख० नं0 3666 रकबा 45.25 है० अतिक्रमित रकबा 0.01 है० किस्म आराजी गै0मु0 मरघट वाके ग्राम बर्डोद से भौतिक रूप से बेदखल करने के आदेश दिये गये है, साथ ही भू राजस्व का वार्षिक लगान का पचास गुणा राशि के दण्ड से दण्डित किया गया है। वकील अपीलान्ट का कथन है कि हाल आराजी खसरा नंबर 3666 का साबिक खसरा नंबर 2576 मात्र 02 बीघा 10 बिस्वा का था, लेकिन बन्दोबस्त विभाग ने राजस्व रिकॉर्ड में बन्दोबस्त के समय गलती करते हुए 02 बीघा को 181 बीघा के रूप में दर्ज कर दिया, के संबंध में अपीलान्ट द्वारा सक्षम न्यायालय में चाराजाही करनी चाहिए। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवासीय पट्टा ग्राम पंचायत बर्डोद द्वारा जारी किया गया है जिसमें कहीं भी यह अंकित नहीं है कि उक्त आवासीय पट्टा अपील में वर्णित आराजी की भूमि के किसी हिस्से हेतु जारी किया गया है, अर्थात अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवासीय पट्टा में कहीं भी खसरा नम्बर अंकित नहीं है। इस प्रकार अपीलाण्ट/अतिक्रमी के विरूद्ध अतिक्रमण करने पर नियमानुसार विधिवत् एवं सही तथ्यों के आधार पर न्यायालय द्वारा आदेश पारित किये गये है, जो सही है तथा अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है। अन्त में पैरोकार सरकार ने निवेदन किया कि उक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज फरमाने की कृपा करें।

हमने वकील अपीलान्ट एवं पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा कानून की मंशा देखी गई। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, बहरोड़ की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलान्ट द्वारा आराजी खसरा नंबर 3666 रकबा 45.25 हैक्ट. के रकबा 0.01 हैक्ट. किस्म आराजी गैर मुमकिन मरघट वाके ग्राम बर्डोद में पक्का मकान का निर्माण कर अवैध अतिक्रमण किया हुआ है, जिसके लिए अपीलाण्ट को अतिक्रमण/कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार अपीलान्ट ने राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का उल्लंघन किया है। अतः नायब तहसीलदार बहरोड़ द्वारा दिनांक 11.06.2025 को पारित आदेश सही साबित होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय पत्रावली में संलग्न किया जावें। निर्णय प्रति के साथ तहत न्यायालय की पत्रावली वापस भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल रिकॉर्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 29.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर कोटपूतली-बहरोड़ (राज.) सत्यमेव जयते

(प्रियंका गोस्वामी)
आई.ए.एस.
जिला कलक्टर
कोटपूतली-बहरोड़

जिला कलक्टर
कोटपूतली-बहरोड़